

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

1	KOT-176	सायराबाई / गणपत / कोथमीर	मेरे धर का अज़न करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
2	KOT-175	प्रेमसिंह / जामसिंह / कोथमीर	मेरे धर का मुआवजा देने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
3	KOT-174	राणाजी / वजीर / कोथमीर	मेरे धर का अज़न करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
4	KOT-172	कालुसिंह / रधुनाथसिंह / कोथमीर	मेरे धर का मुआवजा देने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

5	KOT-167	पार्वतीबाई / तेरसिंग / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
6	KOT-173	छीतु / वेस्ता / कोथमीर	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
7	KOT-177	विश्राम / सोमला / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
8	KOT-158	हसलीबाई / अमरसिंह / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्	-7	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

9	KOT-151	रूमालसिंह / सखाराम / कोथमीर	मेरे धर का अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
10	KOT-605	सायमल / मल्ला / कोथमीर	घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया।	
11	KOT-14	जुवानसिंग / गमरीया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रू में जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को अविकसित ईकाई में मुआवजा रू0 15129 एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू0 दिया गया है।	---	आवेदक का भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
12	KOT-152	जसमल / कालू / कोथमीर	मेरे धर का अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

13	KOT-153	मेताबाई / भूददसिंग / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्	---	जीआरए आदेश क्रमांक 20309 दिनांक 11.06.09 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया।	जीआरए द्वारा नस्तीबद्ध	
14	KOT-154	सुमलीबाई / धुन्दरीया / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्	---	जीआरए आदेश क्रमांक 20304 दिनांक 11.06.09 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया।	जीआरए द्वारा नस्तीबद्ध	
15	KOT-155	प्रेमसिंह / जामसिंह / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्	---	जीआरए आदेश क्रमांक 20313 दिनांक 11.06.09 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया।	जीआरए द्वारा नस्तीबद्ध किया गया।	
16	KOT-169	मणीबाई / लालसिंह / कोथमीर	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
17	KOT-157	पूना / पामलिया / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

18	KOT-171	सायमल / टेटिया / कोथमीर	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
19	KOT-159	धनसिंग / भददू / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत	-7	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
20	KOT-160	बालू / फुलसिंह / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
21	KOT-161	नक्काबाई / जामसिंह / कोथमीर	मेरे घर का अर्जन करने बाबत	---	जीआरए आदेश क्रमांक20307 दिनांक 11.06.09 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया।	जीआरए द्वारा नस्तीबद्ध	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

22	KOT-162	प्रकाश / तेरसिंह / कोथमीर	मेरे धर का अर्जन करने बाबत्	-7	जीआरए आदेश क्रमांक 20318 दिनांक 11.06.09 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य	
23	KOT-163	चंपाबाई / भूरला / कोथमीर	मेरे धर का अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
24	Kot-165	मानसिंह / वजीर / कोथमीर	घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया।	
25	KOT-166	हिरमल / भददू / कोथमीर	मेरे धर का भू अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

26	KOT-168	रायसिंह / धनसिंह / कोथमीर	मेर धर का भू अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
27	KOT-170	जगदीश / झंझाडसिंग / कोथमीर	मेर धर का भू अर्जन करने बाबत्	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्जन नहीं किया गया	
28	KOT-156	ग्यारसीबाई / कालु / कोथमीर	मेरे धर का अर्जन करने बाबत्	---	जीआरए आदेश क्रमांक 20319 दिनांक 11.06.09 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया।	जीआरए द्वारा नस्तीबद्ध	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

1	KOT-117	रामी / भीमसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 13 पर राशि 21582 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20286 में आदेश दिनांक 5.03.09 द्वारा अमान्य कियो गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
2	KOT-50	सुभान / भगरिया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 111 पर राशि 47107 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
3	KOT-142	रेशम / बालू / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 30 पर राशि 43476 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	---	उम्र कम होने के कारण भू अज्ञान अधिकारी द्वारा पुनर्वास अनुदान निरस्त किया गया।	
4	KOT-23	केलाश / हजारी / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 4 पर राशि 66085 रू० एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र.48 पर राशि रू० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
5	KOT-24	कालु / सुभान / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 79 पर राशि 143719 रू० एवं पुनर्वास अनुदान रू० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

6	KOT-25	भागरियां / भावसिंग / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 109 पर राशि 101506 रू० एवं पुनर्वास अनुदान क्र. 171 रू० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
7	KOT-26	कालू / भूरजी / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 82 पर राशि 37885 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
8	KOT-27	गिलदार / भागीरथ / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 108 पर राशि 24477 रू० एवं पुनर्वास अनुदान रू० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
9	KOT-28	रेवाराम / लालसिंह / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 105 पर राशि 39226 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

10	KOT-47	बोन्दर / मखड़िया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 46 पर राशि 25020 रु० दी जा चुकी है। एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 54 पर 93000 रु. दिया गया है।	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
11	KOT-21	रमेश / गंगराम / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	---	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
12	KOT-49	सिगदार / भागरिया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 110 पर 17108 रु० एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 172 पर 93000 रु० दिया गया हैं	---	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
13	KOT-19	प्रताप / बंशी / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 48 पर राशि 13697 रु० एवं पुनर्वास अनुदान रु० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

14	KOT-51	दिनेश / जुवानसिंह / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	---	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20259 आदेश दिनांक 06.03.09 के अनुसार 93000 रू० का भुगतान कर पालन किया गया।	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
15	KOT-52	पतिराम / सुमेरसिंग / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 43 पर राशि 29708 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
16	KOT-53	दयाराम / सुमेरसिंग / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 36 पर 17912 रू० दिया गया है।	---	अंतिम परिवार सूची में उम्र 14 वर्ष दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है।	
17	KOT-54	रायसिंग / धनसिंग / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 74 पर राशि 34446 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

18	KOT-55	रंछोड़ / शोभाराम / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 45 पर राशि 11072 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
19	KOT-56	सुकराम / गिलदार / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	---	---	आवेदक की उम्र कम होने से भू अर्जन अधिकारी द्वारा पुनर्वास अनुदान दिनांक 12.01.09 को निरस्त किया गया है।	
20	KOT-57	गंगाराम / चमार /	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 114 पर राशि 34240 रू० एवं पुनर्वास अनुदान रू० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
21	KOT-58	राधेश्याम / गिलदार / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 108 पर राशि रू० 24477 एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान रू० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

22	KOT-48	सुमेरसिंग / भूराजी / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 36 पर 17912 रू० एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 185 पर 43700 रू० दिया गया है।	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
23	KOT-17	लक्ष्मण / भागड़ा / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को अविकसित ईकाई में मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 78 पर 20176 रू एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दिया गया है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
24	KOT-143	राधा / कालू / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 79 पर राशि 143719 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20293 दिनांक 02.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
25	KOT-144	नहाल / नकला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 39 पर राशि 128103 रू० एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

26	KOT-145	बेसरसिंह / भावसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 16 पर राशि 64592 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक की उम्र कम होने से पुनर्वास अनुदान भू अर्जन अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया।	
27	KOT-146	पातालसिंह / नकला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 12 पर राशि 128103 रु० एवं आवेदक एवं उसके पिता को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	
28	KOT-147	रमेश / मंगलियाँ / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 16 पर राशि 17152 रु० एवं पुनर्वास अनुदान रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक का पुनर्वास अनुदान भू अर्जन अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया।	
29	KOT-148	अमरसिंह / हरेसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 95 पर राशि 20346 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक सर्वे के दौरान नहीं पाये जाने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदक प्रमाण देने पर पुनर्वास अनुदान दिया जा सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

30	KOT-149	ममता / हरेसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 95 पर राशि 20346 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	---	परिवार सूची में नाम नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
31	KOT-15/3	भूरीबाई / मकड़िया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 81 पर राशि 66866 रू० एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दिया गया।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर पुनर्वास अनुदान स्वीकृत किया गया है।	
32	KOT-22	ध्यानसिंह / हजारी / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	---	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
33	KOT-16	कलाबाई / मकड़िया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदिका के पिता को ग0प0क्र0 81 पर राशि 66866 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० का भुगतान किया गया है।	---	जीआरए द्वारा नस्तीबद्ध किया गया।	
34	KOT-61	थानसिंह / गंगाराम / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेद को पुनर्वस अनुदान 93000 रू० दिया गया है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

35	KOT-178	भागरिया / भावसिंह / कोथमीर	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 अनुसार अतिक्रमण जमीन में बदले जमीन देने बाबत।	---	-7	काग्रपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमित भूमि का प्रस्ताव नहीं देने के कारण अर्जन नहीं किया गया।	
36	KOT-179	गबरू / दल्ला / कोथमीर	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 अनुसार अतिक्रमण जमीन में बदले जमीन देने बाबत।	---	---	काग्रपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमित भूमि का प्रस्ताव नहीं देने के कारण अर्जन नहीं किया गया।	
37	KOT-18	रामा / कुवरसिंग / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को अविकसित ईकाई में मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 85 पर 43002 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दिया गया है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
38	KOT-181	हरेसिंग / मुलिया / कोथमीर	धर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 95 पर राशि रु० एवं पुनर्वास अनुदान क्र. 11 रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक का पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

39	KOT-115	छगन / रेवाराम / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 105 पर राशि 39226 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक की उम्र 14 वर्ष अंतिम परिवार सूची में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
40	KOT-185	रानूबाई / सोमला / कोथमीर	धर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 94 पर राशि 16202 रु० दी जा चुकी है।	---	पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
41	KOT-186	झालूबाई / नरला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 96 पर राशि 12536 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका परिवार सर्वे के दौरान मौके पर नहीं मिलने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। ग्राम का प्रमाण देने पर पुनर्वास अनुदान दिया जा सकता है।	
42	KOT-187	बालीबाई / बाला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 20 पर राशि 140652 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	परिवार सूची में माता के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

43	KOT-150	शिवराम / घनसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 34 पर राशि 74249 रु० एवं पुनर्वास अनुदान रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक की उम्र अंतिम परिवार सूची में 6 वर्ष दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
44	KOT-92	संतोष / केलाश / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 44 पर राशि 51687 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक की अंतिम परिवार सूची में उम्र 12 वर्ष दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
45	KOT-82	झेतरीबाई / भगड़िया / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 109 पर राशि 101506 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20285 आदेश दिनांक 07.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
46	KOT-83	जसुबाई / हरला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 26 पर राशि 113662 रु० एवं पुनर्वास अनुदान रु० दी जा चुकी है।	---	अंतिम परिवार सूची में नाम नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
47	KOT-84	तारली / सिकदार / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक क पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 110 पर राशि 17108 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20287 आदेश दिनांक 17.02.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

48	KOT-85	मदन / रेवारा / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 105 पर राशि 39226 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी है।		पुनर्वास अनुदान भू अर्जन अधिकारी द्वारा उम्र कम होने से निरस्त किया गया।	
49	KOT-86	बसू / लालसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 89 पर राशि 54123 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20292 दिनांक 17.02.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
50	KOT-87	झुमकीबाई / टेटिया / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पुत्र को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 30 पर राशि 69161 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।		परिवार सूची में माता के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं	
51	KOT-88	लक्ष्मण / बावलियाँ / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	---	---	परिवार सूची में नाम नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
52	KOT-89	कंचनबाई / लक्ष्मण / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	भाई के नाम से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 44 पर 51687 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दिया गया।	---	परिवार सूची में बहन के रूप नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

53	KOT-59	चेनसिंह / बनेसिंह / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रमांक 153 पर 93000रु० भुगतान किया गया है।	---	पात्रतानुसार भुगतान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।	
54	KOT-91	मीराबाई / लक्ष्मण / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के भाई को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 44 पर राशि 51687 रु० दी गई है।	---	आवेदिका परिवार सूची में बहन के रूप में नीराबाई उम्र 16 वर्ष है। अनुदान की पात्रता नहीं है।	
55	KOT-79	मंडी / जामसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 1 पर राशि 40003 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20273 आदेश दिनांक 17.02.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य किये जाने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।	
56	KOT-93	बसू / बालू / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 76 पर राशि 39776 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20252 दिनांक 04.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
57	KOT-94	रमतीबाई / धनसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 34 पर राशि 74249 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20257 दिनांक 07.03.09 के द्वारा निरस्त	जीआरए द्वारा आदेश अमान्य किये जाने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

58	KOT-95	रानुबाई / सोमला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 94 पर राशि 16202 रु० दी जा चुकी है।	---	परिवार सूची में नाम नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
59	KOT-96	ममता / तेरसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका की माता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 98 पर राशि 247419 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका की उम्र कम होने से पुनर्वास अनुदान भू अर्जन अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है।	
60	KOT-97	रन्छोड़ / चमरिया / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक क पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 25 पर राशि 93979 रु० एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दिया गया है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
61	KOT-98	धना / राजाराम / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 70 पर राशि 52680 रु० एवं पुनर्वास अनुदान रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है।	
62	KOT-99	जानु / प्रेमसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 11 पर राशि 7330 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक की अंतिम परिवार सूची में उम्र 7 वर्ष दर्ज होने से उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

63	KPT-20	सखाराम / बिशन / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक पर राशि रु० 93000 एवं पुनर्वास अनुदान रु० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
64	KOT-90	सकृबाई / हरला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 26 पर राशि 113662 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20274 दिनांक 17.02.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
65	KOT-71	अनिता / तेरसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका की दादी को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 29 पर राशि 40200 रु० दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20251 आदेश दिनांक 03.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य।	
66	KOT-180	प्रेमसिंह / सुभान / कोथमीर	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 अनुसार अतिक्रमण जमीन में बदले जमीन देने बाबत्।	---	---	काग्रपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमित भूमि का प्रस्ताव नहीं देने के कारण अर्जन नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

67	KOT-62	गिलदार / भागरिया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 108 पर राशि 24477 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
68	KOT-63	चिंमा / शंकर / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दिया गया है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
69	KOT-64	बनेसिंह / रामसिंह / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 95 पर राशि 63122 रु० दी जा चुकी है। अनुदान गणना पत्रक 152 पर 93000 रु० भुगतान किया गया है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।	
70	KOT-65	रुखमा उर्फ गुड़डी / कालू / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	---	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20254 आदेश दिनांक 03.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

71	KOT-66	जसमल / कालू / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 31 पर राशि 1104843 रु० एवं आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान उम्र कम होने से पुनर्वास अनुदान राशि निरस्त की गई है।	
72	KOT-67	सुरजबाई / रूमालसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 58 पर राशि 120195 रु० दी जा चुकी है।	--	आवेदिका की उम्र अंतिम परिवार सूची में 12 वर्ष दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
73	KOT-68	मालसिंग / हटेसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 13 पर राशि 102073 रु० दी जा चुकी है।	--	परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं आती है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
74	KOT-81	रेखाबाई / बावलिया / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका को संयुक्त खातों में मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 58 पर राशि 8641 एवं ब्याज दिया गया। आवेदक का कृषि भूमि का मुआवजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।	--	परिवार सूची में नाम नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

75	KOT-70	सुकली / कालू / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के भाई को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 44 राशि 327143 रु० दिया गया है।	---	बहन होने से पुनर्वास नीति के अनुसार पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
76	KOT-80	रेखा / तेरसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 8 पर राशि 323625 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20282 आदेश दिनांक 02.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य किये जाने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
77	KOT-72	रेमाल / प्रेमसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक की दादी को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 13 पर राशि 21582 रु० दिया गया है।	---	आवेदक उसकी दादी के साथ निवास करती है। पोती के रूप में पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
78	KOT-73	ग्यारसीबाई / कालू / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पुत्र तेरसिंह को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 48 पर राशि 59940 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका अपने पुत्र के साथ परिवार सूची में माता के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास नीति की कंडिका के अनुसार पात्रता नहीं रखती है।	---

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

79	KOT-74	धनसिंह / फुलसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 28 पर राशि 100435 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20276 आदेश दिनांक 02.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य	
80	KOT-75	कुमारी केली / शंकर / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 79 पर राशि 49622 रु०,35 पर 27077 एव वि०पु०अनु० राशि 19303, दी जा चुकी हैं	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20280 आदेश दिनांक 02.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य	
81	KOT-76	भूरा / शंकर / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	---	---	आवेदक का पुनर्वास अनुदान भू अर्जन अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया।	
82	KOT-77	राकेश / छगन / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 75 पर राशि 63076 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक की उम्र अंतिम परिवार सूची में 15 वर्ष दर्ज होने से पात्रता नहीं आती है।	
83	KOT-78	जगदीश / लालसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 20 पर 140652 राशि रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20290 दिनांक 06.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

84	KOT-78/4	नुरली / टेमरिया / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका की माता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 102 पर राशि 32773 एव पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका की नाम नरुबाई के रूप में अंतिम परिवार सूची में 17 वर्ष दर्ज होने से पात्रता नहीं आती है।	
85	KOT-60	गिलदार / बनेसिंह / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रमांक 154 पर 93000रू० भुगतान किया गया है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।	
86	KOT-69	राधा / कालू / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के भाई को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 44 राशि 327143 रू० दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20258 आदेश दिनांक 02.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
87	KOT-109	सोनु / जामसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के पालन में कृषि भूमि के अवार्ड की मुआवजा राशि निरस्त की गई।	जीआरए आदेश क्रमांक 20263 दिनांक 17.02.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

88	KOT-124	झबलीबाई / धुस्या / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदिका के पति को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 14 पर राशि 100279 रु०, एवं 93 पर राशि रु० 457, वि०पु०अन० राशि रु० 47431 एवं आवेदिका के पुत्र लालसिंह को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका अपने पुत्र के साथ निवास करती है। अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का लालसिंह के परिवार में माता के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
89	KOT-123	झूनाबाई / सोमला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदक के पुत्र को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 15 पर राशि 116473 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका अंतिम परिवार सूची में माता के रूप में दर्ज है। माता आश्रित के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
90	KOT-122	केलाश / नरसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	---	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20285 ओदश दिनांक 03.03.09 द्वारा मान्य	जीआरए द्वारा मान्य। पिता का नाम त्रुटिपूर्ण होने से पुनर्वास अनुदान भुगतान नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

91	KOT-121	ख्यालीबाई / मालसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 8 एवं एफआरएल 12 पर क्रमशः राशि 57833 एवं 216205 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20283 दिनांक 17.02.09 द्वारा आवेदन अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
92	KOT-120	दिनेश / हरसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 8 पर राशि 31230 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20249 दिनांक 07.03.09 द्वारा आवेदन अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य	
93	KOT-119	भावसिंग / हरेंसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 8 पर राशि 31230 रु० एवं आवेदक एवं उसके पिता पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।	
94	KOT-118	सायरा / धनसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 28 पर राशि 100435 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	परिवार सूची में नाम नहीं हाने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

95	KOT-116	बाली / अमरसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 116 पर राशि 54441 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20248 में आदेश दिनांक 18.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किये जाने से	
96	KOT-114	अशोक / अमरसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 15 पर राशि 54449 रु० एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक का पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।	
97	KOT-113	गंगाराम / शंकर / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्र 35 पर राशि 24077 रु० एवं आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक का पुनर्वास अनुदान भू अर्जन अधिकारी द्वारा उम्र कम पाये जाने से निरस्त किया गया।	
98	KOT-125	मीराबाई / आपसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 4 पर राशि 89220 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका मीराबाई की उम्र अंतिम परिवार सूची में 10 वर्ष दज्र हाने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

99	KOT-111	रेहन्दीबाई / किरला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पुत्र को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 17 पर राशि 68796 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका अपने पुत्र की साथ निवास करती थी। इसलिये परिवार सूची में उसका नाम माता के रूप में दर्ज हाने से आश्रित होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
100	KOT-110	जयराम / सरदार / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक की माता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 83 पर राशि 47424 रू० ए दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20267 आदेश दिनांक 17.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
101	KOT-107	किरण / रामा / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 37 पर राशि 281224 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20264 आदेश दिनांक 17.02.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
102	KOT-106	बालू / फुलसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 14 पर राशि 63795 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक की अंतिम परिवार सूची में उम्रे 16 वर्ष दर्ज हाने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

103	KOT-105	मंगली / बददा / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 72 पर राशि 1981 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका का नाम अंतिम परिवार सची में मौजू के रूप में दर्ज होकर उम्र 15 वर्ष दर्ज है। इसलिए पात्रता नहीं है।	
104	KOT-104	सुमारिया / बोंदरसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 104 पर राशि 25020 रू० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20246 आदेश दिनांक 04.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
105	KOT-103	तेजु / सुरसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 15 पर राशि 37665 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20268 आदेश दिनांक 17.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
106	KOT-102	गीता / फुलसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 14 पर राशि रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20303 आदेश दिनांक 07.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
107	KOT-101	समोती / भारसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 9 पर राशि 87578 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रू० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20270 दिनांक 03.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

108	KOT-100	कुंवरसिंह / बनसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 38 पर राशि 77205 रु० एवं आवेदक ओर उसके पिता को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है।	5
109	KOT-141	ममता / धनसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 34 पर राशि 74249 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20256 दिनांक 02.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
110	KOT-184	रुखमणीबाई / डैडू / कोथमीर	धर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 60 पर राशि 17849 रु० एवं पुनर्वास अनुदान क्र. 11 रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को कड़िका 7.2 की अंतर की राशि स्वीकृत कर भुगतान किया जा सकता है।	
111	KOT-112	रेशमबाई / शंकर / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 55 पर राशि 81438 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 20777 आदेश दिनांक 02.03.09 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

112	KOT-126	रूमालसिंग / आपसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 4 पर राशि 89220 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक रूमालसिंग की उम्र कम होने से भू अजन एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा पुनर्वास अनुदान निरस्त किया गया है।	
113	KOT-134	माया / भावसिंग / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 16 पर राशि 64592 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक का नाम परिवार सूची में नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
114	KOT-135	रामकुंवरबाई / खजान / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	---	जीआरए आदेश क्रमांक 20260 दिनांक 7.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
115	KOT-136	राधा / चेमा / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 6 पर राशि 13151 रु० एवं पुनर्वास अनुदान रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20250 दिनांक 02.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
116	KOT-137	रेशमबाई / हरला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	---	---	आवेदिका पुनर्वास अनुदान भू अजन अधिकारी द्वारा उम्र कम होने के कारण निरस्त किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

117	KOT-140	गोमती / धनसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 34 पर राशि 74249 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20257 दिनांक 7.03.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
118	KOT-138	मसरीबाई / भगरियों / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 109 पर राशि 101506 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी हैं	जीआरए आदेश क्रमांक 20271 दिनांक 17.02.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
119	KOT-108	मोहन / रामा / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 37 पर राशि रु० 281224 एवं आवेदक के पिता पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक का पुनर्वास अनुदान भू अर्जन अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया।	
120	KOT-139	ज्वानसिंह / बनसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 38 पर राशि 77205 रु० एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।		आवेदक को पात्रतानसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कोथमीर आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

121	KOT-133.	साहदर / विश्राम / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 24 पर राशि 108258 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका की उम्र अंतिम परिवार सूची में 16 वर्ष दर्ज हाने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
122	KOT-132	मुकेश / गबरू / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 2 पर राशि 69809 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी है।	जीआरए आदेश क्रमांक 20291 दिनांक 17.02.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य	
123	KOT-131	मुकेश / नकला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 39 पर राशि 12188 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक का अंतिम परिवार सूची में उम्र 16 वर्ष दर्ज हाने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है।	
124	KOT-130	हीरालाल / नकला / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 89 पर राशि 128103 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है	
125	KOT-129	हैसलीबाई / अमरसिंह / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्	---	---	आवेदक की माता का नाम अंतिम परिवार सूची में माता के रूप में दर्ज हाने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

